ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति अंजू कश्यप	1.04.2014 से 30.07.2015
2	श्री सतपाल	31.07.2015 से 22.01.2016
3	श्री संजीव कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री तारादत्त	1.04.2014 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :-

ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	15.21
2	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय	7.90

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी व श्री लोकेश व्यास, कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/12/2017 से 23/12/2017 तक ग्राम पंचायत पौधना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 06/2014, 7/2015, 12/2016 व 12/2014, 03/2016, 07/2016 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कंडाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जीपीऑडिट/जीपीपी/डीबीकंडाघाट/एसएलएन/2017-18-05 दिनांक 23 /12/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पौधना से अनुरोध किया गया, तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत पौधना द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 027083 दिनांक 5/01/2018 (जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कण्डाघाट) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पौधना द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की स्वं स्त्रोत व अन्य अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	438715.75	2088899.00	2527614.75	1752859.00	774755.75
2015-16	774755.75	3038495.80	3813251.55	2311449.85	1501801.70
2016-17	1501801.70	4033000.00	5534801.70	3940234.10	1594567.60

नोट : स्वं-स्त्रोत व अन्य अनुदानों/निधिओं का पृथक-पृथक विवरण संलग्न **परिशिष्ट – I** में दिया गया है।

संयुक्त बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/ वित्तिय स्तिथि के अनुसार अंतिम शेष ₹15,94,567.60

Add: मनरेगा के अंतर्गत माह 07/2015 से 03/2017 तक EFMS के माध्यम से किये गए भुगतान जिसे मनरेगा की रोकड़ बही में तो दर्शाया गया है परन्तु इनका भुगतान मनरेगा खाते से न करके FTO/EFMS के माध्यम से किया गया है!	(+)6,68,052.00
Add: सामान्य निधि से दिनांक 8/03/2017 को चैक संख्या 27743 द्वारा ₹4840 का चैक जारी किया गया जोकि बैंक में भुगतान हेतु दिनांक 10/04/2017 को प्रस्तुत किया गया !	(+)4,840.00
अन्तर (Add: Difference Amount of General Fund which is yet to be traced/reconciled with the bank account)	(+)208.00
दिनांक 31/3/2017 को पास बुक के अनुसार अंतिम शेष **(विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है)**	₹22,67,667.60

दिनांक 31/3/2017 को बैंक में जमा राशी का विवरण :

क्रम संख्या	निधि का नाम	खाता संख्या (last 4 digit)	बैंक का नाम	दिनांक 31/3/2017 को अंतिम शेष
1	स्वयं स्त्रोत	0095	JCC Kandaghat	60,275.00
2	सामान्य निधि	3929	JCC Kandaghat	6,51,331.10
3	13वां वित्त आयोग	0369	JCC Kandaghat	Nil
4	14वां वित्त आयोग	5983	HDFC Kandaghat	7,80,366.00
5	मनरेगा	3521	JCC Kandaghat	Nil
6	पीमेगी (PMAGY)	0008	JCC Kandaghat	5,49,296.50
7	इन्दिरा आवास योजना	2540	JCC Kandaghat	499.00
8	वाटरशेड	7864	JCC Kandaghat	2,25,900.00
दिनांक 31/03/2017 को ग्राम पंचायत द्वारा संधारित सभी बैंक खातों के अन्तिम शेष का कुल योग				₹22,67,667.60

5 रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान न करने के कारण सामान्य निधि में ₹208.00 का अन्तर

सामान्य निधि की रोकड़ बही का सम्बन्धित बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। नियमानुसार रोकड़ बही तथा पास बुक का मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा पास बुक के अंतिम शेष में ₹208.00 का अन्तर पाया गया, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना तथा हर माह के अन्त में मिलान करके ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव द्वारा प्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बैंकों द्वारा ₹396 की अनियमित कटौतियाँ करने बारे:-

ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंकों खातों के अवलोकन पर पाया गया कि बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंक खातों से न्यूनतम शेष/चैक वापसी/चैक बुक चार्जिज के रूप में ₹396 की अनियमित कटौती की गई है जबकि नियमानुसार सरकारी विभागों व संस्थाओं से न्यूनतम शेष चार्जिज व अन्य चार्जिज वसूल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सम्बंधित बैंकों से इस प्रकार की गई अनियमित कटौती की वसूली हेतु आवश्यक पग उठाये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन-जिन बैंक खातों पर न्यूनतम शेष शुल्क काटा गया है उन्हें समय पर बंद न किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों द्वारा काटी गई राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या (last four digits)	अनुदान स्त्रोत	अवधि	कटौती राशि
1	जेसीसी बैंक कंडाघाट	0008	PMAGY	28/5/15	75
2	जेसीसी बैंक कंडाघाट	0369	13वाँ वित्त आयोग	5/2/15 से 1/10/15	75
3	जेसीसी बैंक कंडाघाट	3521	मनरेगा	10/4/14 से 30/6/15	116.75
4	-यथोपरी-	2540	इंदिरा/राजीव आवास योजना	31/12/16 से 30/3/17	129
				कुल कटौतियां	**₹395.75**

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 अनुदान राशि ₹15.21 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक विभिन्न अनुदानों से प्राप्त राशि ₹1521445 उपयोग हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है तथा विस्तृत विवरण हेतु **परिशिष्ट –III** का अवलोकन करें।

क्रम संख्या	अनुदान/निधि क नाम	दिनांक 31/03/2017 को तक उपयोग न की गई राशि
1	सामान्य निधि	6,33,436.10
2	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	5,49,296.50
3	14वाँ वित्त आयोग	7,80,366.00
4	वाटरशेड	2,25,900.00
5	मनरेगा	(-)668052.00
6	इंदिरा आवास योजना	499.00
	कुल राशि	**1521445.60**

उपरोक्त वर्णित राशि को पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान राशि का नियमानुसार उसी कार्य पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस कार्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ।

9 गृह कर ₹0.02 लाख वसूली हेतु शेष :-

ग्राम पंचायत पौधना को गत तीन वर्षो में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त व गत वसूली योग्य राशि बारे आवश्यक सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जीपी पौधना/ डीबीकंडाघाट/एसएलएन/2017-18-01 दिनांक 20/12/2017 जारी किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रदान की गई सूची के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर के रूप में ``₹2470 की वसूली की जानी शेष है जिसे वसूल कर सम्बंधित बैंक खाते में जमा कर वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनुश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा गृहकर, राशन कार्ड, विवाह दान, विवाह तथा परिवार नक़ल, जन्म पंजीकरण,विवाह पंजीकरण आदि की वसूल की जा रही दरों से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि ग्राम सभा द्वारा पूर्व में निर्धारित/पारित दरों से ही उपरोक्त वसूलियां की जा रही है अतः ग्राम पंचायत की आय में बढ़ोतरी हेतु आवश्यक पग उठाये जाये तथा ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली सभी मदों से सम्बंधित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार कर अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

10 गृहकर की राशि को बैंक में जमा किए बिना व्यय करना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही कार्यालय व्यय हेतु उपयोग में लाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली प्रत्येक राशि को सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाया

जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः नियमों के प्रतिकूल प्राप्त आय को बैंक में जमा किए बिना कार्यालय उपयोग हेतु उपयोग करने बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही किये गए कुछ भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है।

बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही भुगतान की गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	मद जिस पर व्यय की गई	दिनांक	राशि
1	जलपान/फोटोस्टेट	26/03/15	475
2	कार्यालय व्यय	26/11/15	420
3	फोटोस्टेट	23/01/16	658
4	कार्यालय व्यय	12/01/17	570
5	जलपान	25/03/17	1185
		कुल राशि	**₹3308**

11 निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री प्रयोग किए जाने के कारण ₹7160.71 का अधिक भुगतान :-

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौधना को स्वीकृति पत्र संख्या RDA/REV-SAN/KGT/PMAGY/2013-5779-82 दिनांक 21/08/2014 के तहत गाँव धनाह को पक्के रास्ते के निर्माण हेतु ₹1,50,000 की स्वीकृति प्रदान की गई इस कार्य के पूर्ण होने के उपरांत तकनिकी सहायक द्वारा एम बी संख्या 11902 के पृष्ट संख्या 37-39 पर किये गए कार्य मूल्यांकन में उपयोग किये गए रेत की मात्रा 10.69 क्यूबिक मीटर आंकी गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा वास्तव में 14.70 क्यूबिक मीटर रेत का क्रय किया गया है इस प्रकार 4.01 cum रेत का अधिक क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

विक्रेता का नाम	मात्रा (फुट में)	मूल्य दर प्रति फुट	भुगतान राशि	बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व चैक संख्या
मै०तारा दत्त शर्मा	150	50	7500	804 9.12.14	9 923187
मै०तारा दत्त शर्मा	225	50	11250	0039 15.12.14	12 923190
मै०तारा दत्त शर्मा	150	50	7500	313 23.01.15	18 923197
कुल योग	525	50	26250		

525/35.71=14.70 क्यूबिक मीटर 7160.71

अतः मूल्यांकित मात्रा से अधिक निर्माण सामग्री प्रयोग किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मूल्यांकन से अधिक क्रय किये गए रेत के मूल्य की वसूली ₹7160.71 की दर से सम्बंधित अधिकारी/पदाधिकारी/कर्मचारी से करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा कर वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 PMAGY के अन्तर्गत जारी मस्टरोल में ₹2124 का अधिक भुगतान:-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(**PMAGY**) के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला छोशा से बलेणी खड्ड के लिए पक्के रास्ते के निर्माण हेतु माह 10/2010 में मस्टरोल संख्या 9777 के तहत विभिन्न मजदूरों के साथ-साथ श्री चेतराम मिस्त्री को 30 दिनों व श्री मनोहर लाल मिस्त्री को 6 दिनों के लिए ₹271 प्रति कार्य दिवस के आधार पर भुगतान किया गया जबकि हिमाचल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: Fin-(PR)B(7)-33/2010 दिनांक 24/05/2014 के अनुसार मिस्त्री को प्रति कार्य दिवस हेतु 212 का भुगतान किया जाना वांछित था। इस प्रकार उक्त मस्टरोल पर ₹2124 (36 days x Rs.59 excess payment per day) का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी अब वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.90 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000/- से अधिक व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर, न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–IV** में दिए विवरणानुसार ₹790408 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा उपरोक्त स्टॉक/स्टोर की खरीद को सक्षम अधिकारी के स्वीकृति se नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाए।

14 जेसीबी चार्जिस ₹1.50 लाख का अनियमित भुगतान:-

ग्राम पंचायत पौधना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जेसीबी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर विभिन्न सड़कों का निर्माण/मुरम्मत कार्य करवाया गया है जबकि तकनीकी सहायक/ कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश पीडब्लूडी शेड्यूल रेट के आधार पर कटाई करवाए जाने वाले कार्य के एस्टीमेट तैयार कर कार्य की प्रमात्रा क्यूबिक मीटर में निकाली गई है जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की प्रकृति व् प्रमात्रा के आधार पर सड़क निर्माण/मुरम्मत हेतु प्रति क्यूबिक मीटर के आधार पर कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य करवाया जाना वांछित था| ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रकार जेसीबी मशीन से करवाई गई निर्माण/मुरम्मत का

भुगतान घंटों के आधार पर किया गया है वह किसी भी प्रकार से तर्कसंगत व् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न तो कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुमानित कार्य व् वास्तविक रूप से हुए कार्य को जांचने के उपरांत तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा डेविएशन स्टेटमेंट तैयार की गई है और न ही कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ही जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जेसीबी मालिक द्वारा बिल में दर्शाए गए घंटों को किसी भी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिसकी अनुपस्तिथि में बिल पर दर्शाए गए कार्य घंटों की सत्यता व कार्य के पूर्ण निष्पादन न होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटें की दर से करवाए गए कार्य (अंकेक्षण हेतु चयनित माह में) का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-V** में दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटे की दर से जेसीबी से करवाए गए कार्य की जांच करवाया जाना सुनिश्चित करे कि, जिस कार्य हेतु भुगतान किया गया है वह पूर्ण हो चूका है तथा किये गए कार्य की असेसमेंट करने के उपरांत अनुमानित कार्य से मिलान कर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जेसीबी को प्रति घंटे की दर से शेडयूल रेट के आधार पर निर्धारित होने वाली राशि व जस्टीफ़ाइड रेट्स से अधिक भुगतान नहीं किया गया है तथा उक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि को माप पुस्तिका में पूर्ण विवरण सहित दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

परिशिष्ट-V में वर्णित ठेकेदार/जेसीबी मालिकों को कार्य का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौती नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांछित थी।

(a) आयकर, फर्म व कम्पनी से 2%, व्यक्तिगत व एचयूएँफ़ से 1% की दर से

(b) सेल्स टैक्स 3%

(c) प्रतिभूति राशि 10%

(d) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर, माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 कार्य मूल्यांकन के बिना ही जेसीबी किराए ₹0.40 लाख का भुगतान :-

ग्राम पंचायत पौधना के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक पाठशाला से खरयाड,गाँव कांगटी हेतु संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र संख्या PLG/1-6/2014-Solan-79126 दिनांक 20/11/2014 द्वारा ₹50,000 की स्वीकृत प्रदान की गई, जिस कार्य हेतु श्री चन्दन स्वरूप शर्मा,गाँव वाकना को ₹39,920 का भुगतान उनके बिल संख्या 48 व 49 दिनांक 12/03/2016, जेसीबी द्वारा 25-25 घंटे कार्य करने की एवज में ₹800 प्रति घंटे की दर से,उक्त कार्य के मूल्यांकन व एम बी में प्रविष्टि किये बिना ही किया गया है, जोकि पूर्णतः अनुचित व अनियमित है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

16 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) के अन्तर्गत लाभार्थी को ₹5100 का भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमती मीरा धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ₹5100 का भुगतान चैक संख्या 923375 दिनांक 23/01/2015 द्वारा शौचालय निर्माण हेतु किया गया परन्तु न तो श्रीमती मीरा के नाम संलग्न भूमि अभिलेख (जमाबंदी) में उनके नाम भूमि होने का कोई प्रमाण था और न ही प्रदान की गई राशि से सम्बंधित स्वीकृति पत्र व मार्गदर्शिका (guidlines) को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उन्हें यह राशि शौचालय निर्माण हेतु अग्रिम रूप से प्रदान की गई है या शौचालय निर्माण के उपरांत और न ही उनके द्वारा शौचालय का निर्माण किए जाने से सम्बंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त वर्णित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

i अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
ii चैक जारी करने का रजिस्टर
iii चल संपत्ति का रजिस्टर
iv आकस्मिक व्यय रजिस्टर
v चैक प्राप्ति रजिस्टर
vi प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर|
vii इन्वेंट्री रजिस्टर

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा न तो क्रय की जा रही भण्डार सामग्री को नियमानुसार सम्बन्धित पंजीका में प्रविष्ट किया जा रहा है और न ही क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 विविध अनियमितताएं

(i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया

गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस सम्बंधित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा जो खाता बहियाँ संधारित की गई है उसे न तो सचिव द्वारा और न ही प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है जिसे सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा किये गए क्रय/भुगतान वाउचरों पर उनके किसी भी सम्बंधित पंजिका में प्रविष्ट किये जाने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सभी भुगतान वाउचरों पर उनके सम्बंधित पंजिका में प्रविष्टि का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)40/2018 खण्ड–1–4193–4196 दिनांक 11.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत पौधना, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881